30/01/2018 पत्रावली पेश हुई। वादी सम अधिवक्ता अनुपस्थित। पूर्व प्रोसिडिंग अनुरूप प्रतिवादी संख्या 3 के सही पतायुक्त सम्मन आज भी प्रस्तुत नहीं हुये हैं। न्यायहित में मौका दिया जाता है।

अतः पत्रावली पूर्वानुसार प्रतिवादी संख्या 3 के सही पतायुक्त सम्मन पुनः पेश करने हेतु आईन्दा दिनांक 27/02/2018 को पेश होवे।

27/2/18 पत्रावली पेश हुई। वादी–प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी बैठक/कानुन व्यवस्था, भ्रमण अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 27/3/18 को पेश होवे। आज्ञा से

रीडर
उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव

27/3/2018 पत्रावली पेश हुई। वादी सम अधिवक्ता आज भी अनुपस्थित। मामले में बार-बार आवाज लगवाने पर भी न तो वादी उपस्थित हुआ तथा न ही उसके अधिवक्ता। दिनांक 21/11/17 से आज दिनांक तक अर्थात लगभग 4 माह से इस मामले में न तो वादी उपस्थित हो रहा है, न ही उसके अधिवक्ता। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी की उसके मामले में पैरवी करने में कोई रुचि नहीं है।

अतः वादी तथा उनके अधिवक्ता के विगत 4 माह की नियत तारिख पेशियों से आज दिनांक तक लगातार अनुपस्थित रहने से वादी का वाद आज खारिज व अंतिम पैरवी में खारिज किया जाता है।

(100)
बसंत स्टेशनरी, सलूम्बर Mob. 94147-37865

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर

श्री रामलाल विपक्षी श्री गोविन्द

मुकदमा रा.वा. पत्रावली संख्या 186 सन् 2016

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 27/03/18 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर	